न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 38/2025 G.C.M.S. No. 2025/97 दर्ज दिनांक : 02.04.2025

अपीलार्थिगण:

1. हमीरसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति राजपूत
2. इन्द्राकंवर पत्नि हमीरसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण रेवतड़ा, तहसील सायला व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. ओटकंवर पुत्री प्रतापसिंह पत्नि आसुसिंह, जाति राजपूत, निवासी थलवाड़, तहसील सायला व जिला जालोर।
2. मनोहरकंवर पुत्री प्रतापसिंह पत्नि धर्मसिंह, जाति राजपूत, निवासी थलवाड़, तहसील सायला व जिला जालोर।
3. लीलाकंवर पुत्री प्रतापसिंह पत्नि शेरसिंह, जाति राजपूत, निवासी पादरा, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।
4. हमीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण रेवतड़ा, तहसील सायला व जिला जालोर।
5. उसकंवर पत्नि प्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण रेवतड़ा, तहसील सायला व जिला जालोर।
6. भूमिधारी तहसीलदार सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
7. उपपंजीयक सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
8. भरतसिंह पुत्र विरदसिंह, जाति राजपूत, निवासी दूदवा, तहसील सायला व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2024 बअनवान ओटकंवर वगैरह बनाम हरिसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2025

पैरोकार–

1. श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. श्री नवीन कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 8
4. शेष रेस्पोंडेंट्स अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 06.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2024 बअनवान ओटकंवर वगैरह बनाम हरिसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सद्भाविक खरीददार है, जिन्होनें रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 के मालिकाना हक व कब्जा काश्त की आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के दिनांक 16.08.2007 को अपीलांट इन्द्राकंवर ने खरीद की है, जिसके खरीद का इन्द्राज उपपंजीयक कार्यालय सायला में दिनांक 16.08.2007 को दर्ज है, जिसके सेलडीड नंबर 2007002624 है। उक्त आराजी अपीलांट इन्द्रा कंवर ने रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 को 1,50,000/– रूपये प्रतिफल के रूप में भुगतान कर खरीद की है। इसी प्रकार अपीलांट हमीरसिंह ने वादग्रस्त आराजी दिनांक 30.8.2008 को रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 से जरिये रजिस्टर्ड बेचान हक खातेदारी के खरीद की है. जिसके खरीद का इन्द्राज उपपंजीयक कार्यालय सायला में दिनांक 30.08.2008 को दर्ज है, जिसके सेलडीड नंबर 2008002430 है। उक्त आराजी अपीलांट हमीरसिह ने रेस्पोडेंट को प्रतिफल के रूप् में 20.000/– रूपये अदा कर खरीद की है। तब से उपरोक्त आराजी पर कब्जा व काश्त अपीलांट का बहैसियत खातेदार मालिक के निरंतर शांतिपूर्वक बिना किसी प्रकार की बाधा व रोकटोक के चला आ रहा है, जिसमे कभी किसी ने कोई दखल बाधा रूकावट अथवा बेजामदाखलात पैदा नहीं की हैं। रजिस्टेर्ड बेचान अपीलांट के हक में निषादित है। दिनांक 16. 08.2007 को रस्पोडेट संख्या 4 व 5 ने दस्तावेज निष्पादन के समय यह विश्वास दिलाया था कि उक्त आराजी में अन्य किसी का कोई हक दखल अथवा अधिकार नही है तथा उक्त आराजी को बेचान करने का समस्त अधिकार रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 को हासिल है। इस प्रकार दस्तावेज बेचाननामा दिनांक 16.08.2007 का जिक वादीगण ने अपने वादपत्र में नहीं किया है केवल मात्र दस्तावेज बेचान दिनांक 30. 08.2008 का ही जिक किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपने वादपत्र को साबित नहीं किया है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफ अपीलांट के खिलाफ की गई है, जिससे अपीलांट को प्राप्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को उल्लघंन हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.10.2024 को तामील होना अंकित किया है जबकि दिनांक 18.10.2024 को न्यायालय कीय आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तलबी हेतु तलबाना पेश करने की हिदायत दी गई है जब दिनांक 18.10.2024 को अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तलबी हेतु मुकर्रर थी तो दिनांक 18.10.2024 को अपीलांट की तामील केसे संभव है यह अपने आप में संदिग्ध प्रतीत होता है। दिनांक 10.01.2025 की आदेशिका में जवाब बंद करना एवं वादीगण की साक्ष्या रेकर्ड पर लेना तथा प्रतिवादी साक्ष्य को बंद करना एक साथ आदेशित किये गये है जबकि कानून में इस तरह का आदेश करने का कोई प्रावधान नहीं हैं। दिनांक 10. 01.2025 की आदेशिका में साक्ष्य के रूप में वादीगण की ओर से साक्ष्य केवल ओटकंवर ही परीक्षित हुई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद ओटकंवर, मनोहरकंवर व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

तीलाकंवर द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था, जो वादीगण तमाम न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही हुए है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण कार्य की अपीलांट्स के खिलाफ एकतरफा पारित की गई है, जो प्रिंसीपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पर तामीली भी रजिस्टर्ड ऐन्वलेप पर अपूर्ण पता के साथ लौटी है। अपूर्ण पते के साथ तामील लौटने के बावजूद भी अपीलांट पर सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित तामीली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया है तथा ना ही प्रर्याप्त तामील करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय ने कोई प्रयास ही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2025 को पारित की गई है, जिसकी जानकारी अपीलांट को उस वक्त हुई जब रेस्पोंडेंट तमाम अपीलांट की खरीदसुदा आराजी में खड़े थे तथा कहा कि हमने हमारी बहनों से दावा करवाकर फैसला करवा लिया है अब अपीलांट का कोई हक उक्त आराजी पर नही रहा है। तब अपीलांट ने दिनांक 01. 04.2025 को अधिनस्थ न्यायालय मे जाकर पता किया तो अपीलांट के खिलाफ एकतरफा निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करने की जानकारी अपीलांट को हुई, जिस पर अपीलांट ने उसी दिन यानि दिनांक 01.04.2025 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल उसी दिनांक को प्राप्त हुई। इस प्रकार निर्णय व डिक्री पारित करने व जानकारी या नकल मिलने की तारीख से अपीलांट की अपील अंदर म्याद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण अपीलांट एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादियागण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात उनके पिता प्रतापसिंह की पैतृक आराजी होने के आधार पर खातेदारी अधिकार निहित होने से प्रतिवादी संख्या 1 भाई एवं प्रतिवादी संख्या 2 माता तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रेतागण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

चाहा गया। वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब कर पत्रावली दिनांक 26.06.2024 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने की दिनांक व क्रमांक का कोई अंकन नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2024 की आदेशिका में उभयपक्ष उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब पेश करने व शामिल पत्रावली किये जाने का अंकन किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु न तो कोई सम्मन जारी किए गए व न ही प्रतिवादीगण असालतन/वकालतन उक्त दिनांक को उपस्थित हुए एवं न ही कोई जवाबदावा आदि प्रस्तुत किया गया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उक्त दिनांक को प्रस्तुत कोई जवाबदावा उपलब्ध है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2024 की आदेशिका यांत्रिक रूप से व आधारहीन अंकित की हैं। आदेशिका दिनांक 18.10.2024 व 06.12.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तलबी पेश किये जाने का अंकन किया गया। आदेशिका दिनांक 10.01.2025 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार गहलोत उपस्थित होने तथा जवाब पेश नहीं करना चाहने से उनका जवाब बंद किया जाना तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अपीलांट का नोटिस दिनांक 18.10.2024 को तामीलशुदा प्राप्त होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 10.01.2025 को ही वादी साक्ष्य प्रस्तुत व पूर्ण होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा कोई गवाह पेश करना नहीं चाहने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद करने व पत्रावली बहस हेतु दिनांक 05.02.2025 को नियत किये जाने का अंकन है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.10.2024 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का पंजीकृत डाक से या अन्यथा सम्मन जारी किए जाने, जारी किए जाने के क्रमांक व दिनांक आदि का कोई अंकन नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा अपीलांट प्रतिवादीगण को सम्मन अपने हस्ताक्षर से जारी किए गए। लेकिन उक्त सम्मन में न्यायालय द्वारा आगामी मुकर्रर दिनांक एवं सम्मन जारी किए जाने की दिनांक के समस्त कॉलम रिक्त है। अतः स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा अधिकृत रूप से कोई सम्मन जारी नहीं किए गए। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कथित सम्मन न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को प्रेषित नहीं कर वादी अधिवक्ता द्वारा अपने पते एवं नाम तथा मोनोग्राम प्रिंट लिफाफे में पंजीकृत डाक से उक्त अस्पष्ट कथित सम्मन प्रतिवादीगण को प्रेषित किए गए। जो **"अपूर्ण पता वापस"** के अंकन के साथ पुनः प्रेषित किए गए। जो अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर वादी अधिवक्ता को अपने निजी पते पर प्राप्त हुए। जिन्हें वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल करवाया गया। अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से कभी भी सम्मन जारी नहीं किए गए एवं न ही इन्हें कभी विधिवत सम्मन तामील हुए। इसके बावजूद इस पर गौर किए बिना विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलांट के विरूद्ध अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनन भूल की हैं। जो उक्त निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो वादीगण के क्रमशः भाई व माता है, द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अपीलांट्स को पंजीकृत विक्रय–विलेख से अंतरित किया गया तथा उक्त प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहकर एवं कोई साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहकर जवाब प्रतिवादी व साक्ष्य प्रतिवादी बंद करवाई गई। अतः स्पष्ट है कि उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपरोक्ष रूप से वादपत्र का समर्थन किया एवं प्रतिवादी हितों की रक्षा नहीं की हैं। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा परस्पर मिलावट किया जाना जाहिर होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनन भूल की हैं।

4. अपीलाधीन निर्णय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ–साथ बंटवाड़ा का मुख्य अनुतोष भी चाहा था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा बंटवाड़ें के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन, निर्णयन व टिप्पणी नहीं की गई हैं। अर्थात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र का पूर्ण रूप से निर्णयन व निस्तारण नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा वादपत्र में संशोधन किए जाने तथा न्यायालय द्वारा ऐसे संशोधन को स्वीकार करने तथा वादीगण को संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई उल्लेख नहीं हैं। जबकि वादपत्र में वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन की मांग की गई थीं। जिसके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है।

5. अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वांछित अनुतोष के समर्थन में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में न तो विस्तृत विवेचन किया एवं न ही अपने विनिश्चय के कारणों को अंकित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किया। बल्कि यांत्रिक रूप से वादपत्र में वांछित अनुतोष को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जो पुष्टि योग्य नहीं है।

6. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के आधार पर वादीगण द्वारा नामांतरण संख्या 1801 दिनांक 06.03.2025 द्वारा अपना नाम वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख में अमल दरामद करवाया गया तथा इसके आधार पर पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 06.03.2025 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का रेस्पोंडेंट संख्या 8 को अंतरण कर दिया गया। जो स्वतः स्वीकृत नामांतरण संख्या 1802 दिनांक 06.03.2025 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की खसरा संख्या 409 व 1828/377 के भू–अभिलेख में दर्ज हुआ। हमारे विनम्र मत में चूंकि वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा दर्ज किया गया। जिसके आधार पर इनके द्वारा आगामी अंतरण किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होने व पुष्टि योग्य नहीं होने से काबिल अपास्त है। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की अनुपालना में एवं इसके आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख में की गई समस्त प्रविष्टियां व फेरफार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा इसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हस्तगत अपील के निर्णय से आच्छादित व प्रभावित रहेगी।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन निर्णय पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिनुरूप निर्णय के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2024 बअनवान ओटकंवर वगैरह बनाम हरिसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट्स प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक विरचित करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्रों के निस्तारण हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 से 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में विहित संगत विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए वादपत्र विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया

अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी

जाता है कि वे दिनांक 09.03.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **06.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner